


23.04.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल
वाद पत्र अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र
अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212
आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती।
मूल वादपत्र अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी
का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.
ए. मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.03.2018
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हा


सहायक कलेक्टर
एव उपाध्यक्ष
हनुमानगढ

